

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2018—फाल्गुन 14, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2018

फा. क्र. 12-वि.निर्वा.-2018-चार-राज्यसभा-49

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2018

भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

1. फा.सं. एच. 11024/3/2018-वि.02 दिनांक 05.03.2018 (भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना हिन्दी)

2. F.NO.H-1124/3/2018-leg.II (भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय अधिसूचना अंग्रेजी)

3. सं. 318/रा.स.-मल्ली/2/2018(1) दिनांक 05.03.2018 (भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना हिन्दी)

4. NO.318/CS-Multi/2/2018(1) दिनांक 05.03.2018. (भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अंग्रेजी)

एस. एस. बंसल, सचिव.

**भारत सरकार**  
**विधि और न्याय मंत्रालय**  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 5 मार्च, 2018—फाल्गुन 14, 1939 (शक)

**अधिसूचना**

का.आ. (अ).-- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

क्रम सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	3	02.04.2018
2.	बिहार	6	02.04.2018
3.	छत्तीसगढ़	1	02.04.2018
4.	गुजरात	4	02.04.2018
5.	हरियाणा	1	02.04.2018
6.	हिमाचल प्रदेश	1	02.04.2018
7.	कर्नाटक	4	02.04.2018
8.	मध्य प्रदेश	5	02.04.2018
9.	महाराष्ट्र	6	02.04.2018
10.	तेलंगाना	3	02.04.2018
11.	उत्तर प्रदेश	10	02.04.2018
12.	उत्तराखंड	1	02.04.2018
13.	पश्चिमी बंगाल	5	02.04.2018
14.	ओड़िशा	3	03.04.2018
15.	राजस्थान	3	03.04.2018
16.	झारखंड	2	03.05.2018

[फा. सं. एच.11024/3/2018-वि.02]

(डा.रीटा वशिष्ट)  
अपर सचिव, भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Law and Justice  
(Legislative Department)

New Delhi, the 5<sup>th</sup> March, 2018—Phalgun 14, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

S.O..... (E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the numbers of member(s) specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office: -

S.No.	STATE	No. of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh	3	02.04.2018
2	Bihar	6	02.04.2018
3	Chhattisgarh	1	02.04.2018
4	Gujarat	4	02.04.2018
5	Haryana	1	02.04.2018
6	Himachal Pradesh	1	02.04.2018
7	Karnataka	4	02.04.2018
8	<b>Madhya Pradesh</b>	<b>5</b>	<b>02.04.2018</b>
9	Maharashtra	6	02.04.2018
10	Telangana	3	02.04.2018
11	Uttar Pradesh	10	02.04.2018
12	Uttarakhand	1	02.04.2018
13	West Bengal	5	02.04.2018
14	Odisha	3	03.04.2018
15	Rajasthan	3	03.04.2018
16	Jharknad	2	03.05.2018

[F.No.H.11024/3/2018-Leg.II]

(Dr. Reeta Vasishta)  
Additional Secretary to the Government of India

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 2018—फाल्गुन 14, 1939 (शक)

## अधिसूचना

सं. 318/रा. स.-मल्टी/2/2018 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 5 मार्च 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

## सारणी

राज्य (1)	भरे जाने वाले स्थान (2)
आंध्र प्रदेश	3
बिहार	6
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	4
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	6
तेलंगाना	3
उत्तर प्रदेश	10
उत्तराखण्ड	1
पश्चिम बंगाल	5
ओडिशा	3
राजस्थान	3
झारखण्ड	2
कुल- 58	

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख - 12 मार्च, 2018 (सोमवार)  
 (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 13 मार्च, 2018 (मंगलवार)  
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 15 मार्च, 2018 (गुरुवार)  
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 23 मार्च, 2018 (शुक्रवार)  
 (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा -26 मार्च, 2018 (सोमवार), और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,  
हस्ता./-

( आर. के. श्रीवास्तव )  
वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5<sup>th</sup> March, 2018—Phalgun 14, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2/2018 (1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 5<sup>th</sup> March, 2018 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE:

**TABLE**

Sl.No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
1)	Andhra Pradesh	3
2)	Bihar	6
3)	Chhattisgarh	1
4)	Gujarat	4
5)	Haryana	1
6)	Himachal Pradesh	1
7)	Karnataka	4
8)	Madhya Pradesh	5
9)	Maharashtra	6
10)	Telangana	3
11)	Uttar Pradesh	10
12)	Uttarakhand	1
13)	West Bengal	5
14)	Odisha	3
15)	Rajasthan	3
16)	Jharkhand	2
<b>Total</b>		<b>58</b>

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

**(A) appoints, with respect to the said election;**

(a) the 12<sup>th</sup> March, 2018 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 13<sup>th</sup> March, 2018 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 15<sup>th</sup> March, 2018 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 23<sup>rd</sup> March, 2018 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 26<sup>th</sup> March, 2018 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

**(B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.**

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)

Senior Principal Secretary to the  
Election Commission of India.